## U;k;ky; fMoh tuy dfe'uj] tk/kij
## ihBklhu vf/kdkjh % MkO jkt'k 'kek] vkb-,-,l-

राजस्व द्वितीय अपील संख्या 07/2021

**vihykUV** बनाम **jLikMUVl**

| | |
|---|---|
| सुरेन्द्र कुमार पुत्र विमलचन्द<br>जैन निवासी– लक्ष्मी भवन,<br>सदर बाजार सिरोहीं। | तहसीलदार<br>सिरोही। |

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 विरूद्व आदेश दिनांक 25.11.2020 जो न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर, सिरोही राजस्व अपील संख्या 42/2018 सुरेन्द्र कुमार बनाम राज्य में पारित किया गया।

उपस्थिती:——

1. श्री श्रेयांस मरडिया, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।

## fu.k;

**fnukd% tuojh] 2021**

1. अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर, सिरोही के द्वारा राजस्व अपील संख्या 42/2018 अनवान सुरेन्द्रकुमार बनाम राज्य में पारित के विरूद्ध यह द्वितीय अपील न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.01.2021 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा की बहस सुनी गई।

2. दौरान सुनवाई अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि पटवारी हल्का रामपुरा के द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध एक प्रतिवेदन कि अपीलार्थी का वर्ष 2074 के दौरान खसरा संख्या 323 की अनाधिकृत सरकारी भूमि रकबा 0.5000 हैक्टर पर अतिचार किया है अतः उसे बेदखल किया जावें। जिस पर ना0तहसीलदार सिरोही के द्वारा प्रकरण संख्या 44/2017 सरकार बनाम सुरेन्द्रकुमार दर्ज किया गया जिस पर अपीलार्थी के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया। परन्तु विचारण न्यायालय के द्वारा

विधिवत सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलार्थी के विरूद्ध ख0सं0 323 रकबा 0. 0500 हैक्टर भूमि को अपीलान्ट सुरेन्द्रकुमार आबादी की भूमि नहीं मानकर (राजकीय बिलानाम ) किस्म बंजड मानते हुए उक्त भूमि से अप्रार्थी के बेदखली के दिनांक 26.02.2018 के आदेश पारित किये। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट के द्वारा प्रथम अपील संख्या 42/2018 प्रस्तुत की गई। जो अपील अपीलान्ट के विरूद्ध दिनांक 25.11.2020 को निस्तारित होकर खारिज की गई है। उक्त दोनों अपीलाधीन आदेशों से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

3. अपीलान्ट अधिवक्ता ने दौरान सुनवाई यह कथन किया कि में अपीलाधीन आदेश में अंकित वादग्रस्त भूमि वर्तमान में अपीलान्ट के कब्जे में नहीं हैं और उक्त भूमि ग्राम पंचायत रामपुरा द्वारा क्रेतागण आशीदेवी व भावनादेवी को विक्रय की जाकर उनको काबिज करवाया गया। जिसका पटटा संख्या 8/84 व 9/84 दिनांक 22.4. 1984 को जारी किये गये है। तब से उक्त क्रेतागण का ही कब्जा लगभग 34 वर्षो से चला आ रहा है जो कि आबादी भूमि के रूप में उपभोग की जा रही है। वर्तमान में उक्त भूमि का मालिकाना हक श्रीमती आशीदेवी के पुत्रों का है। उक्त तथ्य न तो ना0 तहसीलदार न्यायालय ने कन्सीडर किये और न ही अति0 जिला कलेक्टर सिरोही के न्यायालय ने। और उल्लेखित पटटा विलेख की विश्वसनीयता को कहीं पर चुनौती नहीं दी गई है। दोनों न्यायालयों ने भी उल्लेखित पटटा विलेख की सत्यता को नहीं नकारा है। श्रीमती आशी देवी एवं भावनादेवी के द्वारा उक्त पटटा जारी होने के पश्चात ग्राम पंचायत से भवन निर्माण स्वीकृति भी दिनांक 13.4.99 को जारी कर दी गई थी। अपीलान्ट सुरेन्द्रकुमार का उक्त भूमि पर कोई कब्जा/हक नहीं है। ऐसे में अपीलान्ट को उक्त भूमि का अतिक्रमी मानते हुए जो अपीलाधीन कार्यवाही सम्पादित की गई है, व नियम विरूद्ध की गई है।

4. अपीलान्ट अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि उक्त तथ्यों को दोनों अधिनस्थ न्यायालयों ने गौर नहीं किया है और मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट को ही राजकीय अभिलेख मानते हुए धारा 91 आरएआर एक्ट के तहत कार्यवाही सम्पादित कर दी गई। जो कि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय एआईआर 2010 एनओसी 937 के अनुसार साक्ष्य के तहत लोक दस्तावेज की श्रेणी में नहीं आता है। इसके अतिरिक्त

अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष भूमि का मालिकाना हक प्रत्यर्थी साबित नहीं कर पाया है। और भूमि का सरकारी होना तथा अपीलार्थी को अतिक्रमी होना सिद्ध करता हो। अधिनस्थ न्यायालयों ने वादग्रस्त भूमि के वास्तविक कब्जाधारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की और उन्हें बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही प्रश्नगत भूमि से बेदखल किया जा रहा है। उक्त भूमि ग्राम पंचायत द्वारा अपने स्वामित्व व कब्जे की होने से विक्रय की जाकर क्रेतागण आशीदेवी व भावनादेवी को काबिज करवाया है। क्रेताग्रण किसी भी रूप में अतिचारी नहीं है। उक्त भूमि आबादी क्षेत्र में होने से आवासीय उपयोग में आ रही है। ऐसे में माननीय राज0 उच्च न्यायालय के निर्णय 2015 (2)डीएनजे राज पृष्ठ 593 व एआईआर 2015 राज0 पृष्ठ 40 के परिप्रेक्ष्य में उक्त भूमि आबादी प्रकृति की होने से राजस्व न्यायालय को ऐसी कोई कार्यवाही करने अधिकार नहीं बनता है और आबादी/आवासीय भूमि का राजकीय बिलानाम भूमि होना मानने में गंभीर अवैधता बरती है। इसके अतिरिक्त अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय स्पीकिग आर्डर की श्रेणी में भी नहीं आता है क्योंकि उनके द्वारा अपीलान्ट की ओर से उठाये गये आब्जेक्शनों को कहीं पर कन्सीडर नहीं किया और न ही उनका विश्लेषण/खण्डन किया है ऐसे में दोनों अपीलाधीन निर्णय विधि विपरित पारित होने से अपास्त किये जाने योग्य होने से निरस्त किये जावें एवं अपीलान्ट की अपील को स्वीकार की जावें।

5. हमने अपीलाधीन आदेशों का अवलोकन किया अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा उल्लेखित/प्रकट किये गये कथनों के सम्बन्ध में मनन किया एवं प्रस्तुत निर्णय नजीरों/दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया जिससे यह पाया जाता है कि नायब तहसीलदार न्यायालय के द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अपीलान्ट के विरूद्ध अतिचारी/अतिक्रमी मानते हुए धारा 91 आरएलआर एक्ट के तहत पटवारी के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर अपने निर्णय दिनांक 26.02.2018 के द्वारा वादग्रस्त भूमि से बेदखली कार्यवाही करने एवं जुर्माना आरोपित किया गया है। तत्पश्चात अपीलान्ट के द्वारा धारा 75 के तहत अति0 जिला कलेक्टर सिरोही के समक्ष अपील प्रस्तुत होने पर अति0 जिला कलेक्टर सिरोही के द्वारा ना0 तहसीलदार न्यायालय के निर्णय को यथावत रखते हुए अपील अस्वीकार की गई है। अपीलान्ट का

अपील में मुख्य कथन यह है कि वादग्रस्त भूमि का किसी प्रकार से हक अधिकार नहीं रखता है और न ही प्रश्नगत भूमि पर उसका कब्जा है। उक्त भूमि अन्य व्यक्तियों के नाम से पटटाशुदा एवं आबादी में आई हुई आवासीय उपयोग वाली भूमि है। जिसका पटटा विलेख ग्राम पंचायत के द्वारा दिनांक 22.4.1084 को जारी होना तत्पश्चात ग्राम पंचायत से भवन निर्माण स्वीकृति ली जाना दर्शाया है। तथा आबादी/आवासीय उपयोग वाली भूमि पर राजस्व न्यायालय धारा 91 आरएलआर एक्ट के तहत इस प्रकार की कार्यवाही सम्पादित नहीं कर सकते है। इसके अतिरिक्त अधिनस्थ न्यायालयों द्वारा उनके जवाब का किसी प्रकार से विश्लेषण/खण्डन नहीं किया और न ही कन्सीडर किया गया है। ऐसे में उल्लेखित समस्त ऑब्जवेशनों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के मध्यनजर हमारा विनम्र मत है कि अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार योग्य होने से आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण में अंकित वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अपीलान्ट व वास्तविक कब्जाधारियों/मालिक को पुनः सुनवाई का अवसर दिये जाने एवं नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु अति0 जिला कलेक्टर सिरोही को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

6. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अति0 जिला कलेक्टर सिरोही इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त आब्जर्वेशनों को मध्यनजर रखते हुए अपीलान्ट एवं वादग्रस्त भूमि के वर्तमान में वास्तविक कब्जाधारियों/मालिक को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं उन्हें सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने, वादग्रस्त भूमि की मौका रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त प्रकरण में राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार पुनः यथोचित आदेश पारित करें। रिमाण्ड प्रकरण के निर्णय होने तक अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.02.2018 में अंकित ''अप्रार्थी को विवादित भूमि का अतिक्रमी घोषित किया जाकर भौतिक रूप से बेदखल करने'' को अस्थाई रूप से स्थगित रखा जावें। निर्णय आज दिनांक 25.01.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

**¼Mk0 jktsUnz 'kekZ½**
**fMohtuy dfe'uj]**
**tks/kiqj**